प्रथम सूचना रिपोर्ट
( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

1. जिला. चौकी एसीबी, भीलवाडा– द्वितीय, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष – 2022
प्र. ई. रि. स. 249/2022 दिनांक 23/6/2022
(अ) अधिनियम भ्र. नि. अधिनियम धाराये 7, 7ए पी.सी. एक्ट 2018 (संशोधित) 120बी भा.द.स.
(ब) अधिनियम..... धारायें .....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 428 समय 5:30 PM.
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक मंगलवार :– 21.06.2022 समय 05.45 पी.एम.
(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक– 14.06.2022 समय. 12:10 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – उत्तर–पश्चिम बफासला करीब 90 किलोमीटर
(ब) पता – सरकारी आवास, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खंड–भीम जिला राजसमन्द
बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना.....जिला.....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम – श्री ठाकुर सिंह
(ब) पिता का नाम.... श्री तेज सिंह रावत
(स) जन्म तिथि /वर्ष :– 50 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता..... भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय:– व्यापार
(ल) पता– निवासी– कलालिया, तहसील–भीम, जिला–राजसमन्द

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1. श्री केशराम पिता तेजराम मीणा उम्र 53 साल निवासी जीवली तहसील बजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर हाल बी–11 व बी–17, जे.पी. कॉलोनी, टोक फाटक, जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड–भीम जिला राजसमन्द।
2. श्री गोपाल सिंह पिता लक्ष्मण सिंह रावत उम्र 35 साल निवासी हिन्दोला पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द (ठेकेदार)

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही ...
चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 2,00,000/–. रिश्वत राशि

9. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या
(अगर हो तो ) 2,00,000/–. रिश्वत राशि

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
भीलवाडा कृषि मंडी

विषयः– कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मै ठाकुर सिंह पुत्र श्री तेजसिंह रावत निवासी कलालिया, तहसील भीम, जिला राजसंमद का निवासी हूँ, मैं पी.डब्लू.डी. का ए क्लास कोन्ट्रेक्टर हूँ, मैंने भीम, देवगढ उपखंड मे सडक निर्माण/ भवन निर्माण के काफी कार्य किये है। मैंने डी.एम.एफ.टी. योजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत 4 सडको के डामरीकरण कार्य (1. देवगढ–आमेट रोड से सोलंकियो का गुढा 2. माद से मुंडकोशिया 3. देवरिया से माताजी का गांव 4. सासरिया से दौलाजी का खेडा) करीब 1 करोड 16 लाख रूपये के देवगढ क्षैत्र में वर्ष 2018 में किये थे, डी.एम.एफ.टी. योजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत 4 सडको के डामरीकरण कार्य के बिल तैयार करवा कर अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय भीम में करीब साढे तीन साल पूर्व पेश कर दिये थे, जिसमें से करीब 12 लाख का भुगतान मुझे पूर्व में हो गया था। शेष करीब 98 लाख रूपये के बिलो का भुगतान अभी नही किया गया, मैं डी.एम.एफ.टी. योजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत 4 सडको के डामरीकरण कार्य के करीब 98 लाख रूपये के शेष भुगतान के लिए श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, भीम से कई बार निवेदन किया पर उन्होने भुगतान नही किया। दिनांक 09.06.2022 को सुबह के समय मैं श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, भीम से उनके कार्यालय मे मिला तो उन्होने मेरे 98 लाख रूपये के शेष भुगतान की एवज मे 6 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 6 लाख रूपये मांगे, मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 5 लाख रूपये रिश्वत लेने के लिये तैयार हुये, और कहां कि मैं तुम्हारे बिल ट्रैजरी भुगतान हेतू भेज रहा हूँ, 5–6 दिन मे तुम्हारे खाते मे भुगतान हो जायेगा, तुम जल्दी ही 05 लाख रूपये मुझे दे जाना। मैं मेरे जायज काम के बदले नाजायज रूप से रिश्वत श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, भीम को नहीं देना चाहता बल्कि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरी श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, भीम से कोई रंजिश नहीं हैं व नही मेरा कोई लेनदेन बकाया हैं। कार्यवाही कराने की कृपा करावें।

दिनांक :– 14.06.2022

प्रार्थी

हस्ता.
ठाकुर सिंह पुत्र श्री तेज सिंह रावत निवासी
कलालिया, तहसील भीम, जिला राजसंमद
मो.न. 94141–69819

पलिस उप अधीक्षक श्री शिव प्रकाश
परिवादी की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करें।
एसडी ब्रजराज सिंह 14.06.2022
एसडी श्री खेमचंद साधवानी
21.6.22
एस डी श्री गजानंद कुमावत
21/6/22

## कार्यवाही पुलिस भ्रनिब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय

दिनांक 14.06.2022 समय 12.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ब्रजराज सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय ने परिवादी श्री ठाकुर सिंह पुत्र श्री तेज सिंह रावत निवासी कलालिया, तहसील भीम, जिला राजसंमद द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट मुझ पुलिस उप अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठाकंन कर मय परिवादी के सूपूर्द की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री ठाकुर सिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मुझ पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दरियाप्त की गई। परिवादी ने बताया कि मैं पी.डब्लू.डी. का ए क्लास कोन्ट्रेक्टर हूँ, मेने भीम, देवगढ उपखंड मे सडक निर्माण/ भवन निर्माण के काफी कार्य किये है। मैंने डी.एम.एफ.टी. योजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत 4 सडको के डामरीकरण कार्य (1. देवगढ–आमेट रोड से सोलंकियो का गुढा 2. माद से मुंडकोशिया 3. देवरिया से माताजी का गांव 4. सासरिया से दौलाजी का खेडा) करीब 1 करोड 16 लाख रूपये के देवगढ क्षैत्र में वर्ष 2018 में किये थे, डी.एम.एफ.टी. योजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत 4 सडको के डामरीकरण कार्य के बिल तैयार करवा कर अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय भीम में करीब साढे तीन साल पूर्व पेश कर दिये थे, जिसमें से करीब 12 लाख का भुगतान मुझे पूर्व में हो गया था। शेष करीब 98 लाख रूपये के बिलो का भुगतान अभी नही किया गया, मैं डी.एम.एफ.टी. योजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत 4 सडको के डामरीकरण कार्य के करीब 98 लाख रूपये के शेष भुगतान के लिए श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, भीम से कई बार निवेदन किया पर उन्होने भुगतान नही किया। दिनांक 09.06.2022 को सुबह के समय मैं श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, भीम से उनके कार्यालय मे मिला तो उन्होने मेरे 98 लाख रूपये के शेष भुगतान की एवज मे 6 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 6 लाख रूपये मांगे, मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 5 लाख रूपये रिश्वत लेने के लिये तैयार हुये, और कहां कि मैं तुम्हारे बिल ट्रैजरी भुगतान हेतू भेज रहा हूँ, 5–6 दिन मे तुम्हारे खाते मे भुगतान हो जायेगा, तुम जल्दी ही 05 लाख रूपये मुझे दे जाना। मैं मेरे जायज काम के बदले नाजायज रूप से रिश्वत श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, भीम को नहीं देना चाहता बल्कि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरी श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, भीम से कोई रंजिश नहीं हैं व नही मेरा कोई लेनदेन बकाया हैं। मजमुन रिपोर्ट व परिवादी से दरियाप्त पर मामला रिश्वत राशि लेन–देन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का पाया जाता हैं। समय 12.20 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मेमोरी कार्ड निकलवा कर प्राप्त किया गया। समय 12.25 पी.एम पर परिवादी श्री ठाकुर सिंह को वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करना सिखाया। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मन्तव्य से अवगत कराया गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी जब भी मुझे पैसो के लिये बुलायेगा, मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप आपके किसी कर्मचारी को भीम भिजवा देना मैं मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री रामेश्वर लाल कानि 250 को तलब कर परिवादी का व रामेश्वर लाल कानि का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों के मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान–प्रदान करवाया गया। परिवादी को अवगत कराया कि जब भी आरोपी की तरफ से रिश्वत राशि की मांग की जावे या इस सम्बध में आपको बुलावे तो आप अविलम्ब मुझे सूचित करना, मै रामेश्वर लाल कानि को आपके पास मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु भिजवा दूंगा। सरकारी वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड पुनः श्री गोपाल जोशी हैड कानि से कार्यालय के मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया। समय 12.50 पी.एम पर परिवादी श्री ठाकुर सिंह को आवश्यक समझाईश कर पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 16.06.2022 समय 06.05 पी.एम. पर परिवादी श्री ठाकुर सिंह ने मुझ पुलिस उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल कर बताया कि आज मेरी आरोपी से फोन से बात हुई थी। उसने मुझे कल सुबह 09 बजे पहले बुलाया है। अतः आप सुबह 08.30 बजे रामेश्वर लाल जी को भीम भिजवा देना ताकि मैं आरोपी से वार्ता कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। जिस पर परिवादी को निर्देशित किया कि सुबह 08.30 बजे रामेश्वर लाल कानि भीम उपस्थित मिल जायेगा, आप आरोपी से अपने कार्य के संबध में विस्तृत बातचीत कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा देना। परिवादी को आवश्यक हिदायत की। दिनांक 17.06.2022 समय 06.05 ए.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मेमोरी कार्ड निकलवा कर रामेश्वर लाल कानि को हिदायत की कि अभी कार्यालय से रवाना होकर प्रातः 08.30 ए.एम. पर भीम पहुंच परिवादी श्री ठाकुर सिंह से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करावें। श्री रामेश्वर लाल कानि. को सरकारी वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर हिदायत कर रवाना भीम किया। समय 09.15 ए.एम. पर श्री रामेश्वर लाल कानि. ने मुझ पुलिस उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल फोन बताया कि मैं भीम पहुँच गया हूँ, परिवादी श्री ठाकुर सिंह मुझे मिल गये है। परिवादी श्री ठाकुर सिंह ने आरोपी की लॉकेशन मालुमात कराई तो वह राजकार्य से राजसमन्द चला गया है। जिस पर रामेश्वर लाल कानि को निर्देशित किया कि वह गोपनीय स्थान पर भीम मे ही मुकिम रहे और जब भी आरोपी भीम पहुँच जाये, तब परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायें। समय 05.45 पी.एम. पर श्री रामेश्वर लाल कानि ने मुझ पुलिस उप अधीक्षक को जरिये फोन बताया कि परिवादी द्वारा आरोपी की लॉकेशन मालुमात करने पर

शाम को करीब 05 बजे आरोपी के कार्यालय में ही बैठे होने की परिवादी को सूचना मिलने पर परिवादी के कार्यालय भीम पर मैने परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर चालुकर आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर मैं भी पीछे–पीछे स्वयं की मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। पुलिस थाने से पहले टैक्सी स्टेण्ड पर मैं रूक गया और परिवादी उसकी मोटर साईकिल से आरोपी के कार्यालय जाता हुआ दूर से नजर आया। परिवादी ने मोटरसाईकिल खडी कर आरोपी के कार्यालय के अन्दर गया। करीब 25 मिनिट बाद परिवादी आरोपी के कार्यालय से बाहर आकर मोटरसाईकिल स्टार्ट कर मेरे नजदीक आया, हम दोनो अपनी अपनी मोटर साईकिलो से परिवादी के कार्यालय पर आये। परिवादी ने मुझे चालु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सिपूर्द किया जिसे मैंने प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी आरोपी से मेरे काम के संबध में बातचीत हो गई है और रिश्वत राशि मांग सत्यापन हो गया है, परिवादी ने मुझे बताया कि मैने आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मेरे से दो लाख रूपये कल तथा शेष रिश्वत राशि मंगलवार को देने के लिये कहा है। तत्पश्चात रामेश्वर लाल कानि को परिवादी से बात कराने के लिये कहने पर रामेश्वर लाल कानि ने परिवादी श्री ठाकुर सिंह से वार्ता करवायी तो परिवादी ने रामेश्वर लाल कानि के बताये उक्त तथ्यों की ताईद कर बताया कि कल आरोपी ने 12 बजे तक दो लाख रूपये मंगवाये है और शेष रिश्वत राशि मंगलवार को मंगवायी है। मैं कल एक लाख रूपये आरोपी को दे देता हूँ जिससे उसको मेरे पर विश्वास बना रहेगा और वह शेष रिश्वत राशि भी मंगलवार को मेरे से ग्रहण कर लेगा। परिवादी ने बताया कि मेरे आवश्यक काम होने से मैं यही रूकना चाह रहा हूँ और सुबह आप वापस रामेश्वर जी को भिजवा देना जो मैं आरोपी से मेरे काम के संबध में और वार्ता कर लूंगा और एक लाख रूपये भी आरोपी को दे दूंगा जिससे मेरा उसको विश्वास बना रहेगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने कानि रामेश्वर लाल को निर्देशित किया कि परिवादी को प्रातः 10 ए.एम. पर भीम उपस्थित मिलने की हिदायत कर रूखसत कर दर्ज मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के साथ कार्यालय में उपस्थित आवे। समय 08.45 पी.एम. पर श्री रामेश्वर लाल कानि कार्यालय में उपस्थित आया, कानि. ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022 का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर पूर्व में बताये तथ्यों की ताईद कर विस्तृत हालात बताये। तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022 की रिकॉर्डशुद्वा मॉग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा पूर्व में रामेश्वर लाल कानि के फोन से हुई वार्ता के दौरान बताये गये तथ्यों की ताईद हो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। फिर भी परिवादी को निर्देशित किया जायेगा कि दिनांक 18.06.2022 को की जाने वाली वार्ता में रिश्वत राशि व कार्य के संबध में और अधिक विस्तृत स्पष्ट वार्ता करें डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दर्ज शुद्वा वार्ता के मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 18.06.2022 समय 08.45 ए.एम. पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड को निकलवा कर श्री रामेश्वर लाल कानि को सिपुर्द कर हिदायत की कि अभी भीम पहुंच परिवादी श्री ठाकुर सिंह से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुनः स्पष्ट और विस्तृत कार्यवाही करावें। श्री रामेश्वर लाल कानि. को हिदायत कर रवाना भीम किया। समय 01.25 पी.एम. पर श्री रामेश्वर लाल कानि ने मुझ पुलिस उप अधीक्षक को जरिये फोन बताया कि मैं आज सुबह मेरी मोटरसाईकिल से कार्यालय से रवाना होकर भीम पहुँचा, जहॉ परिवादी के ऑफिस पर परिवादी उपस्थित मिला, परिवादी ने आरोपी की लॉकेशन मालुमात कराई तो वह अपने निवास पर था, मैने परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर चालुकर आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुनः कार्यवाही हेतु परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर मैं भी पीछे–पीछे स्वयं की मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। पुलिस थाने से पहले टैक्सी स्टेण्ड पर मैं रूक गया और परिवादी उसकी मोटर साईकिल से आरोपी के निवास पर जाता हुआ दूर से नजर आया। करीब 20 मिनिट बाद परिवादी आरोपी के निवास से रवाना होकर मोटरसाईकिल से मेरे नजदीक आया, हम दोनो अपनी अपनी मोटर साईकिलो से परिवादी के कार्यालय पर आये। परिवादी ने मुझे चालु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सिपूर्द किया जिसे मैंने प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी आरोपी से मेरे काम के संबध में बातचीत हो गई है मैने मांग सत्यापन वार्ता के दौरान एक लाख रूपये आरोपी को दे भी दिये है मैंने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मेरे से एक लाख रूपये और देने की काफी जिद की मगर मैने मेरे पास नही होने की कह कर मैंने शेष रिश्वत राशि चार लाख रूपये मंगलवार को देने के लिये कहा है। तत्पश्चात श्री रामेश्वर लाल कानि को परिवादी से बात कराने के लिये कहने पर श्री रामेश्वर लाल कानि ने परिवादी श्री ठाकुर सिंह से वार्ता करवायी तो परिवादी ने रामेश्वर लाल कानि के बताये उक्त तथ्यों की ताईद कर बताया कि मैंने आरोपी से उसके निवास पर मेरे काम के संबध में और विस्तार से बात कर ली और एक लाख रूपये भी मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी को दे दिये है, शेष चार लाख रूपये मंगलवार को देना तय हुआ है। परिवादी ने बताया कि मेरे आवश्यक काम होने से मैं यही

रूकना चाह रहा हूँ और दिनांक 21.06.2022 को प्रातः 08.00 बजे आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने कानि रामेश्वर लाल को निर्देशित किया कि परिवादी को हिदायत कर रूखसत कर दिनांक 18.06.2022 को हुई मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के साथ कार्यालय में उपस्थित आवे। समय 05.00 पी.एम. पर श्री रामेश्वर लाल कानि कार्यालय में उपस्थित आया, कानि. ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06.2022 का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर पूर्व में जरिये फोन बताये तथ्यों की पुनः ताईद कर विस्तृत हालात से अवगत कराया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06.2022 की रिकॉर्डशुद्वा मॉग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा श्री रामेश्वर लाल कानि के फोन से पूर्व मे हुई वार्ता के दौरान बताये गये तथ्यो की ताईद हो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। दिनांक 18.06.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की द्वितीय वार्ता के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 20.06.2022 समय 03.30 पी.एम. पर चूंकि कल दिनांक 21.06.2022 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना प्रस्तावित होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कोषाधिकारी, भीलवाडा के नाम तहरीर लिखकर दो गवाह एसीबी कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय पर भिजवाने हेतू श्री महेन्द्र कुमार कानि को तहरीर सिपूर्द कर रवाना कार्यालय कोषाधिकारी, भीलवाडा किया गया। समय 05.00 पी.एम. पर श्री महेन्द्र कुमार कानि मय कार्यालय कोषाधिकारी, भीलवाडा से गवाह श्री खेमचंद साधवानी, सहायक लेखाधिकारी तथा श्री गजानंद कुमावत, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, भीलवाडा उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया व दिनांक 21.06.2022 को प्रातः 07.30 बजे पुनः उपस्थित होने के लिये पाबन्द कर रूखसत किया गया। समय 05.15 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वितीय को श्री प्रहलाद हैड कानि ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–प्रथम को मय वाहन सरकारी टवेरा मय चालक के दिनांक 21.06.2022 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु सहायतार्थ 07.30 ए.एम. पर चौकी भीलवाडा–द्वितीय पर तलब करने हेतु निवेदन किया। दिनांक 21.06.2022 समय 07.30 ए.एम. पर भ्र.नि.ब्यूरो चौकी भीलवाडा–प्रथम से, श्री प्रहलाद हैड कानि ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–प्रथम मय वाहन सरकारी टवेरा चालक श्री हेमेन्द्र सिंह के कार्यालय पर उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री ठाकुर सिंह उपस्थित आया। जिससे दरियाप्त की तो परिवादी ने श्री रामेश्वर लाल कानि द्वारा दिनांक 17.06.2022 व 18.06.2022 को बताये गये तथ्यों व पूर्व में रामेश्वर लाल कानि. के मोबाईल पर हुई वार्ता के दौरान बताये गये तथ्यों की ताईद कर आरोपी से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ताओ को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लेना बताया। परिवादी ने बताया कि मैने मांग सत्यापन की दिनांक 18.06.2022 की हुई वार्ता के दौरान आरोपी को एक लाख रूपये भी दे दिये थे, बाद दरियाप्त परिवादी को कार्यालय में बिठाया। समय 08.45 ए.एम. पर कार्यालय कोषाधिकारी, भीलवाडा से गवाह श्री खेमचंद साधवानी, सहायक लेखाधिकारी तथा श्री गजानंद कुमावत, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, भीलवाडा उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया व कार्यालय कक्ष में बिठाया। समय 08.55 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित सुदा स्वतंत्र गवाह श्री खेमचंद साधवानी, सहायक लेखाधिकारी तथा श्री गजानंद कुमावत, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, भीलवाडा को बुलाने के प्रयोजन से अवगत करवाया। परिवादी श्री ठाकुर सिंह की रिपोर्ट को दोनों गवाहान को पढकर सुनाया एवं पढाया गया। कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022 व 18.06.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से निकलवाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता दिनांक 17.06.2022 व 18.06.2022 को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ताओ को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझकर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022 व 18.06.2022 के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। समय 10.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री ठाकुर सिंह को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री ठाकुर सिंह ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 2000–2000 रूपये के 100 नोट कुल 2,00,000 रूपये प्रस्तुत किये और कहा कि 2 लाख रूपये की व्यवस्था हो सकी है। अतः 2 लाख रूपये ही आरोपी को देकर शेष रूपयो के लिये आरोपी से बात करके समय ले लूगा। परिवादी द्वारा पेश नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी को श्री. विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक, भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से फिनोल्पथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री ठाकुर सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री गजानंद कुमावत से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहने हुए पेंट की बांयी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात श्री

महेन्द्र कुमार कानि. 372 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो हाजरिन ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रकिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय से बाहर फिंकवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री महेन्द्र कुमार कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.45 ए.एम पर मन् शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री गजानंद कुमावत, श्री खेमचंद साधवानी, श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि., श्री रामेश्वर लाल कानि., श्री प्रेमराज कानि, श्री शिवराज सिंह कानि मय परिवादी ठाकुर सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद व सरकारी वाहन टवेरा चालक हेमेन्द्र सिंह के मय ट्रेप बॉक्स व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमारी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री साथ लेकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु भीम जिला राजसमन्द की ओर रवाना हुआ। समय 01.00 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो नन्दावट चौराहा भीम, जिला राजसमन्द पहुँचा। समय 01.10 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ठाकुर सिंह से आरोपी की लोकेशन मालूमात करवायी तो परिवादी ने बताया कि आरोपी अपने कार्यालय व निवास पर नही है, कही गये हुये है। जिस मन् पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के नन्दावट चौराहा भीम, जिला राजसमन्द पर सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहे। समय 05.00 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ठाकुर सिंह से आरोपी की लोकेशन मालूमात करवायी तो परिवादी ने बताया कि आरोपी अपने निवास पर आ गया है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के नन्दावट चौराहा भीम से रवाना हो पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द के आगे व कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि. वि. खंड–भीम के पहले सुरक्षित स्थान पर मुकिम हुआ। परिवादी ने अपना स्वयं का वाहन कार हमराह लिया। समय 05.24 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वॉईस रिकॉर्डर जिसमें नया मेमोरी कार्ड लगा हुआ हैं, परिवादी को आवश्यक हिदायत कर वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री गोपाल जोशी हैड कानि की मदद से चालुकर परिवादी श्री ठाकुर सिंह को सुपुर्द कर परिवादी को मय अपने वाहन कार से निवास अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खंड–भीम के लिये रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के वाहनो मे मुकिम रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खंड–भीम के सामने हाईवे रोड पर सुरक्षित स्थान पर मुकिम हुए। समय 05.45 पी. एम. पर परिवादी ने कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड–भीम, जिला राजसमन्द के गेट के सामने आकर निर्धारित ईशारा अपने अपने सिर पर हाथ फेर कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, शिवप्रकाश ने दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रेप पार्टी सदस्य गोपाल जोशी हैड कानि. 65, प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि., श्री प्रेमराज कानि. 225, श्री शिवराज सिंह कानि. 235, श्री रामेश्वर लाल कानि 250 मय सरकारी वाहन बोलेरो संख्या RJ-14-UC-8657 मय चालक श्री विनोद कुमार 378 मय सरकारी वाहन टवेरा संख्या RJ-14-UC-8904 चालक श्री हेमेन्द्र सिंह कानि चालक के कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड–भीम, जिला राजसमन्द के मुख्य गेट हाईवे रोड से अन्दर प्रवेश हो आगे चौक मे पहुँचा, सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी वाहन टवेरा को कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड–भीम, जिला राजसमन्द के बाहर ही खडा किया। जहां परिवादी उपस्थित मिला मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुँचा। जहॉ परिवादी श्री ठाकुर सिंह ने चालू डिजिटिल वॉयस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने लेकर बंद किया। इसके पश्चात परिवादी को

हमरा ले परिवादी के बताये अनुसार निवास अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड–भीम के मुख्य गेट से अंदर प्रवेश हुये तो आगे खुला चौक हो दाहिनी तरफ एक बैठक कमरा बना हो सामने दो बैड लगे हुये पाये, उक्त कमरे मे, परिवादी के साथ मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के प्रवेश किया तो सामने की तरफ एक व्यक्ति बैड पर बैठा हुआ नजर आया, तथा बांयी तरफ कुर्सी पर एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया, परिवादी के साथ मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के उक्त कमरे में प्रवेश किया। परिवादी श्री ठाकुर सिंह ने ईशारा करते हुए बताया कि सामने बैड पर बैठे श्री केशराम जी मीणा, अधिशाषी अभियन्ता है, तथा कुर्सी पर बैठे श्री गोपाल सिंह रावत ठेकेदार है, श्री केशराम जी मीणा, अधिशाषी अभियन्ता के कहने से मेने 2,00,000 रूपये रिश्वत राशि अभी–अभी बैड की रैक मे रखी थी, जिस पर उक्त दोनो व्यक्तियो को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराकर उनका नाम पता पूछा तो बैड पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम केशराम पिता तेजराम मीणा उम्र 53 साल निवासी जीवली तहसील बजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर हाल बी–11 व बी–17, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड–भीम जिला राजसमन्द होना बताया तथा कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्री गोपाल सिंह पिता लक्ष्मण सिंह रावत उम्र 35 साल निवासी हिन्दोला पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द हो स्वयं को ठेकेदार होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने पास ही खडे परिवादी श्री ठाकुर सिंह की ओर ईशारा कर श्री केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता से पूछा कि आपने परिवादी श्री ठाकुर सिंह द्वारा डी.एम.एफ.टी. योजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत 4 सडको के डामरीकरण कार्य (1. देवगढ–आमेट रोड से सोलंकियो का गुढा 2. माद से मुंडकोशिया 3. देवरिया से माताजी का गांव 4. सासरिया से दौलाजी का खेडा) करीब 1 करोड 16 लाख रूपये के देवगढ क्षैत्र में वर्ष 2018 में करवाये गये कार्य के बिलो की शेष राशि करीब 98 लाख रूपये के भुगतान की एवज में परिवादी से 5 लाख रूपये रिश्वत की मांगकर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06.2022 को 1,00,000 रूपये ग्रहण कर 4,00,000 रूपये की ओर मांगकर अपनी मांग अनुसार 2,00,000 रूपये दिनांक 21.06. 20222 को परिवादी से प्राप्त किये है क्या? जिस पर श्री केशराम मीणा अधिशाषी अभियन्ता ने बताया श्री ठाकुर सिंह द्वारा डी.एम.एफ.टी. फेज–द्वितीय के उपरोक्त कामो के बिल मैने ट्रैजरी में भुगतान हेतु भिजवा दिये है, मेरे पास इनका कोई काम बाकी नही है, और ना ही मैने इनसे रिश्वत राशि मांगी है। आज अभी श्री ठाकुर सिंह मेरे पास आया और अपनी मर्जी से ही 2,00,000 रूपये मेरे बैड की रैक मे रखकर चला गया, मैने कोई रूपयों की मांग ठाकुर सिंह से नही की, आपको आता देखकर यह 2,00,000 रूपये राशि मेरे साथी ठेकेदार गोपाल सिंह रावत ने अपने पास रख ली, जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री ठाकुर सिंह ने आरोपी श्री केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता की उक्त बात का खण्डन करते हुए स्वतः बताया कि ये झूंठ बोल रहे है हकीकत यह है कि मेरे द्वारा डी.एम.एफ.टी. योजना फेज–द्वितीय के अन्तर्गत 4 सडको के डामरीकरण कार्य करीब 1 करोड 16 लाख रूपये के देवगढ क्षैत्र में वर्ष 2018 में करवाये थे उन कार्यो के बिलो की शेष राशि करीब 98 लाख रूपये राशि के भुगतान की एवज में मेरे से 5 लाख रूपये रिश्वत की मांगकर, मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06. 2022 को 1,00,000 रूपये ले लिये थे और 4,00,000 रूपये की और मांग की थी, अपनी मांग अनुसार 2,00,000 रूपये मैंने इनके कहने से इनके बैड की रैक मे रखे है तथा दो लाख रूपये मैने इनको कल देने के लिये कहा, जिस पर पुनः केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता को परिवादी के बताये उक्त तथ्य के बारे मे पूछा तो केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता मौन हो गया व कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई। तत्पश्चात पास ही बैठे श्री गोपाल सिंह रावत को पूछा कि आपने केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता के कहने से बैड की रैक मे रखे 2,00,000 रूपये निकाल कर अपने पास लिये है क्या जिस पर श्री गोपाल सिंह रावत ने कहा कि मैंने केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता के कहने से अभी–अभी 2,00,000 रूपये इनके बैड की रैक से स्वयं मैने निकाल कर मेरी पेन्ट की दांहिनी जेब में रखे है जो मेरी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे हुये है यह राशि किस बात के लिये श्री केशराम जी ने ली इसकी मुझे जानकारी नही है। आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का पर्याप्त संदेह होने पर केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता के निवास मे रखी पानी की मटकी मे से श्री गोपाल जोशी हैड कानि से साफ पानी मंगाया जाकर एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री गोपाल सिंह रावत (ठेकेदार) के दांहिने हाथ की अंगुलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो दांहिने हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे दाहिने हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवाकर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किये गये, चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् अन्य कॉच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री गोपाल सिंह रावत (ठेकेदार) के बॉये हाथ की अंगुलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो बॉये हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो

गया जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे बॉये हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किये गये, चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात गोपाल सिंह रावत (ठेकदार) की तलाशी गवाह श्री गजानंद कुमावत से लिवाई गई तो गवाह गजानंद ने श्री गोपाल सिंह रावत (ठेकदार) की पहनी हुई पेन्ट बरंग काले की दांहिनी जेब से रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिन कर 2000–2000/– के 100 नोट कुल 2,00,000 रूपये होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू–ब–हू होना बताया। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2000 रूपये का एक नोट | 1AP | 457084 |
| 2. | 2000 रूपये का एक नोट | 5BL | 276164 |
| 3. | 2000 रूपये का एक नोट | 7DH | 017759 |
| 4. | 2000 रूपये का एक नोट | 4DE | 725586 |
| 5. | 2000 रूपये का एक नोट | 4DE | 723417 |
| 6. | 2000 रूपये का एक नोट | 5AH | 036582 |
| 7. | 2000 रूपये का एक नोट | 1FG | 082491 |
| 8. | 2000 रूपये का एक नोट | 9FL | 598890 |
| 9. | 2000 रूपये का एक नोट | 9FL | 598891 |
| 10. | 2000 रूपये का एक नोट | 6HU | 188630 |
| 11. | 2000 रूपये का एक नोट | 0BG | 540794 |
| 12. | 2000 रूपये का एक नोट | 9DB | 053352 |
| 13. | 2000 रूपये का एक नोट | 9FN | 855920 |
| 14. | 2000 रूपये का एक नोट | 7AA | 279915 |
| 15. | 2000 रूपये का एक नोट | 5AF | 276871 |
| 16. | 2000 रूपये का एक नोट | 2FM | 469255 |
| 17. | 2000 रूपये का एक नोट | 3FQ | 562667 |
| 18. | 2000 रूपये का एक नोट | 6GW | 765788 |
| 19. | 2000 रूपये का एक नोट | 6BR | 128137 |
| 20. | 2000 रूपये का एक नोट | 5CA | 316174 |
| 21. | 2000 रूपये का एक नोट | 1KG | 482908 |
| 22. | 2000 रूपये का एक नोट | 1BN | 222932 |
| 23. | 2000 रूपये का एक नोट | 0AE | 047992 |
| 24. | 2000 रूपये का एक नोट | 0AU | 657247 |
| 25. | 2000 रूपये का एक नोट | 5AP | 403644 |
| 26. | 2000 रूपये का एक नोट | 8AW | 823449 |
| 27. | 2000 रूपये का एक नोट | 6HV | 378576 |
| 28. | 2000 रूपये का एक नोट | 4GD | 490320 |
| 29. | 2000 रूपये का एक नोट | 8DP | 300744 |
| 30. | 2000 रूपये का एक नोट | 3NC | 886775 |
| 31. | 2000 रूपये का एक नोट | 9BC | 084323 |
| 32. | 2000 रूपये का एक नोट | 5KC | 908813 |
| 33. | 2000 रूपये का एक नोट | 9BR | 891756 |
| 34. | 2000 रूपये का एक नोट | 9HQ | 836984 |
| 35. | 2000 रूपये का एक नोट | 4KW | 067638 |
| 36. | 2000 रूपये का एक नोट | 1AW | 736729 |
| 37. | 2000 रूपये का एक नोट | 8FF | 274708 |
| 38. | 2000 रूपये का एक नोट | 8GD | 512024 |
| 39. | 2000 रूपये का एक नोट | 2KN | 314288 |
| 40. | 2000 रूपये का एक नोट | 2BT | 915654 |
| 41. | 2000 रूपये का एक नोट | 4AU | 175474 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42. | 2000 रूपये का एक नोट | 5FG | 767209 |
| 43. | 2000 रूपये का एक नोट | 4CW | 494141 |
| 44. | 2000 रूपये का एक नोट | 1CK | 632038 |
| 45. | 2000 रूपये का एक नोट | 2EN | 010012 |
| 46. | 2000 रूपये का एक नोट | 1AK | 092037 |
| 47. | 2000 रूपये का एक नोट | 0KC | 107205 |
| 48. | 2000 रूपये का एक नोट | 4BH | 912193 |
| 49. | 2000 रूपये का एक नोट | 2KH | 095177 |
| 50. | 2000 रूपये का एक नोट | 5AN | 003083 |
| 51. | 2000 रूपये का एक नोट | 9HK | 843668 |
| 52. | 2000 रूपये का एक नोट | 6DS | 032818 |
| 53. | 2000 रूपये का एक नोट | 2FS | 796931 |
| 54. | 2000 रूपये का एक नोट | 1BT | 449304 |
| 55. | 2000 रूपये का एक नोट | 5GN | 442593 |
| 56. | 2000 रूपये का एक नोट | 7EV | 443432 |
| 57. | 2000 रूपये का एक नोट | 9HU | 661965 |
| 58. | 2000 रूपये का एक नोट | 2HK | 262118 |
| 59. | 2000 रूपये का एक नोट | 8DU | 680113 |
| 60. | 2000 रूपये का एक नोट | 4CP | 657366 |
| 61. | 2000 रूपये का एक नोट | 4CQ | 272983 |
| 62. | 2000 रूपये का एक नोट | 4KL | 613547 |
| 63. | 2000 रूपये का एक नोट | 7AE | 129415 |
| 64. | 2000 रूपये का एक नोट | 4GA | 148579 |
| 65. | 2000 रूपये का एक नोट | 4KL | 045186 |
| 66. | 2000 रूपये का एक नोट | 3HP | 051297 |
| 67. | 2000 रूपये का एक नोट | 4BT | 133074 |
| 68. | 2000 रूपये का एक नोट | 2CU | 389396 |
| 69. | 2000 रूपये का एक नोट | 2DF | 296367 |
| 70. | 2000 रूपये का एक नोट | 2FC | 417919 |
| 71. | 2000 रूपये का एक नोट | 4KM | 547295 |
| 72. | 2000 रूपये का एक नोट | 5KM | 942985 |
| 73. | 2000 रूपये का एक नोट | 6AP | 840580 |
| 74. | 2000 रूपये का एक नोट | 9AP | 623677 |
| 75. | 2000 रूपये का एक नोट | 9AS | 063258 |
| 76. | 2000 रूपये का एक नोट | 5MP | 501353 |
| 77. | 2000 रूपये का एक नोट | 8CU | 393670 |
| 78. | 2000 रूपये का एक नोट | 7CR | 831082 |
| 79. | 2000 रूपये का एक नोट | 2AN | 452761 |
| 80. | 2000 रूपये का एक नोट | 8KD | 555293 |
| 81. | 2000 रूपये का एक नोट | 0LN | 337995 |
| 82. | 2000 रूपये का एक नोट | 5KE | 010163 |
| 83. | 2000 रूपये का एक नोट | 8GE | 017955 |
| 84. | 2000 रूपये का एक नोट | 9BL | 482631 |
| 85. | 2000 रूपये का एक नोट | 7AM | 862036 |
| 86. | 2000 रूपये का एक नोट | 5FF | 430154 |
| 87. | 2000 रूपये का एक नोट | 3FE | 794445 |
| 88. | 2000 रूपये का एक नोट | 2LE | 015542 |
| 89. | 2000 रूपये का एक नोट | 6MM | 390959 |
| 90. | 2000 रूपये का एक नोट | 9CW | 066735 |
| 91. | 2000 रूपये का एक नोट | 7FG | 278111 |
| 92. | 2000 रूपये का एक नोट | 4AU | 003723 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 93. | 2000 रूपये का एक नोट | 8KS | 992527 |
| 94. | 2000 रूपये का एक नोट | 3FA | 317218 |
| 95. | 2000 रूपये का एक नोट | 7EG | 163150 |
| 96. | 2000 रूपये का एक नोट | 2AC | 128472 |
| 97. | 2000 रूपये का एक नोट | 4GG | 088959 |
| 98. | 2000 रूपये का एक नोट | 0CF | 437463 |
| 99. | 2000 रूपये का एक नोट | 0CT | 745372 |
| 100. | 2000 रूपये का एक नोट | 1HK | 204537 |

उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क "N" अंकित कर कब्जे ए.सी.बी. लिये। इसके पश्चात कानि. रामेश्वरलाल से बाजार से एक लोवर मंगवाकर श्री गोपाल सिंह रावत (ठेकेदार) की पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाकर मंगाये हुये लोवर पहनाई। इसके पश्चात एक अन्य साफ कांच की गिलास में श्री गोपाल जोशी हैडकानि से साफ–पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गिलास के मिश्रण को रंगहीन होना स्वीकार किया। श्री गोपाल सिंह रावत (ठेकेदार) की पेन्ट की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई बरंग काली की दाहिनी जेब को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के उक्त रंगहीन मिश्रण में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर उनके द्वारा धोवण के मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार करने पर उक्त धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क P-1, P-2 अंकित किये जाकर चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री गोपाल सिंह रावत (ठेकेदार) की उक्त पेंट की दाहिनी जेब को सुखाकर पेंट की दाहिनी जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करा कर उक्त पेंट बरंग काली को सफेद कपड़े की थेली में रखकर सीलचिट कर मार्क–P अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी ली गई। तत्पश्चात एक अन्य साफ कांच की गिलास में श्री गोपाल जोशी हैडकानि से साफ–पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गिलास के मिश्रण को रंगहीन होना स्वीकार किया। रिश्वत राशि सम्पर्क स्थल बैड की रैक के अन्दर रखे कागज के उपर सम्पर्क स्थल को रूई के फोहे से रगडकर कर उक्त रंगहीन मिश्रण में डुबाया गया तो धोवण का मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर उनके द्वारा धोवण के मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार करने पर उक्त धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क S-1, S-2 अंकित किये जाकर चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। रूई के फोहे को सुखाकर जलाकर नष्ट किया। रिश्वत राशि सर्म्पक स्थल कागज आफिस सूचना के पीछे के पेज पर क.स. 53 से 56 तक कार्य का नाम अंकित होकर राशि का विवरण अंकित है। उक्त सम्पर्क स्थल कागज पर संबधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त सम्पर्क स्थल कागज को एक कागज के लिफाफे मे रख चिट चस्पा किया। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री केशराम मीणा द्वारा रिश्वत राशि के हाथ नही लगाने से आरोपी श्री केशराम मीणा की हाथ धुलवाई की कार्यवाही नही की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री ठाकुर सिंह के कार्य से संबधित दस्तावेज के बारे श्री केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता से पूछा तो उसने दस्तावेज कार्यालय मे श्री अशोक गहलोत, कार्यालय अधीक्षक के पास होना बताया, जिसे जरिये फोन तलब कर परिवादी के द्वारा करवाये डी.एम.एफ.टी. योजना फेज–द्वितीय के तहत डामरीकरण कार्यो से संबधित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां चाहने पर वांछित दस्तावेजो की प्रमाणित फोटो प्रतियां 17+14 कुल पेज 31 पेश की, जो बाद अवलोकन संबधित के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ए.सी.बी. ली गई। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री ठाकुर सिंह द्वारा पूर्व मे इमरोज रिश्वत राशि लेनदेन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाह एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री ठाकुर सिंह व आरोपी श्री केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता के मध्य रिश्वत लेन देन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। फर्द बरामदगी टंकण समय 08.05 पी.एम. से प्रारंभ होकर समय 08:55 पी.एम. पर सम्पन्न होकर ए.सी.बी. कार्यालय के सरकारी लेपटांप पर श्री प्रेमराज कानि 225 से तैयार करवायी गई। फर्द बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.00 पी.एम पर आरोपी श्री केशराम अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड–भीम जिला राजसमन्द को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 09.20 पी.एम पर आरोपी श्री गोपाल सिंह रावत निवासी हिन्दोला पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द ( ठेकेदार) को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 10.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता, मय गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री केशराम मीणा, श्री गोपाल सिंह रावत मय परिवादी श्री ठाकुर सिंह मय सिलचीट शुद्वा धोवण आर्टीकल, जप्त शुदा रिश्वत राशि आदि

के सरकारी वाहन बोलेरो, सरकारी वाहन टवेरा से रवाना निवास अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खंड–भीम से एसीबी कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय के लिये रवाना हुआ। दिनांक 22.06.2022 समय 12.15 ए.एम पर उपरोक्त का रवानाशुद्वा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता, मय गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी मय परिवादी के एसीबी कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय पहुंचा। समय 12.25 ए.एम पर श्री शिवराज कानि. श्री रामेश्वर लाल कानि मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विनोद को पी.एम.ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा व थानाधिकारी थाना सुभाषनगर के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री केशराम मीणा व श्री गोपाल सिंह रावत का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना सुभाषनगर में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया।समय 12.35 ए. एम पर कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैडकानि. से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022 बरूबरू परिवादी श्री ठाकुर सिंह व आरोपी श्री केशराम के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री गोपाल जोशी हैडकानि. की मदद से फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.35 ए.एम पर श्री शिवराज कानि., श्री रामेश्वर लाल मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विनोद उपस्थित आये व बताया कि आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवा सुरक्षार्थ पुलिस थाना सुभाषनगर जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर उपस्थित आये है। समय 02.45 ए.एम पर कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैडकानि. से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06. 2022 बरूबरू परिवादी श्री ठाकुर सिंह व आरोपी श्री केशराम मीणा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री गोपाल जोशी हैडकानि. की मदद से फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04. 45 ए.एम पर रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता दिनांक 21.06.2022 जो परिवादी श्री ठाकुर सिंह व आरोपी श्री केशराम मीणा के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जो ब्यूरो के वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज है। उक्त वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री गोपाल जोशी हैडकानि. की मदद से फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.45 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, प्रेमराज कानि, रामेश्वर लाल कानि मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक विनोद कुमार के निरीक्षण घटनास्थल हेतू रवाना भीम जिला राजसमन्द हुआ। समय 08.30 ए. एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानशुद्वा भीम जिला राजसमन्द पहुँचा। समय 08.35 ए.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी ठाकुर सिंह की निशादेही से निवास अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खंड–भीम के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, मय हमराहीयान के बाद निरीक्षण घटनास्थल भीम से रवाना ए.सी.बी. कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय हुआ। समय 10.45 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानशुद्वा ए.सी.बी. कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय पहुँचा। समय 11.00 ए.एम पर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022, दिनांक 18. 06.2022, लेन देन वार्ता दिनांक 21.06.2022 मे परिवादी श्री ठाकुर सिंह व आरोपी केशराम मीणा के मध्य हुई वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से 4 पैन ड्राईव में उक्त तीनो वार्ताओं को प्रेमराज कानि से कॉपी करवा तीन पैन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील चिट कर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पैन ड्राईव को कागज के लिफाफे मे रखकर अनुसंधान अधिकारी के लिये, शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.45 ए.एम पर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.06.2022, दिनांक 18.06.2022, लेन देन वार्ता दिनांक 21.06.2022 मे परिवादी श्री ठाकुर सिंह व आरोपी केशराम मीणा के मध्य हुई वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कागज में पृथक– पृथक लपेटकर कागज के लिफाफे मे रख सफेद कपडे की थैली में रख मार्क M अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 12.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास–सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पहुंच पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन–समझ कर व पढ़कर सही मान अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 01.00 पी.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 2,00,000 रूपये मार्क N सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH–1, RH–2, LH –1, LH–2, P-1, P-2, S-1, S-2 जप्तशुद्वा आरोपी गोपाल सिंह रावत की पेन्ट मार्क P सिल्डचिट शुदा, तीन पैन ड्राईव सफेद पृथक–पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क A-1, A-2, A-3 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा तीन मेमोरी कार्डस नंग 01 मार्क–M इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार पारीक हैडकानि. को सुपुर्द कर कार्यालय के

मालखाना में सुरक्षित रखवाये। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री ठाकुर सिंह व दोनों स्वतन्त्र गवाहान व श्री प्रहलाद हैडकानि को हिदायत कर रूखसत किया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री ठाकुर सिंह द्वारा डी.एम.एफ.टी. योजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत सडको के डामरीकरण कार्यो के बिलो के शेष करीब 98 लाख रूपये के भुगतान की एवज में श्री केशराम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, भीम जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से 5 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 18.06.2022 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री केशराम मीणा द्वारा 1 लाख रूपये प्राप्त कर 4 लाख रूपये की और मांग करना और अपनी मांग के अनुसरण मे दिनांक 21.06.2022 को परिवादी से रिश्वत राशि 2,00,000/– अपने निवास पर बैड की रैक मे रखवाना तथा ए.सी.बी. टीम को आता देख रिश्वत राशि 2,00,000 रूपये अपने साथी गोपाल सिंह रावत ठेकेदार को कहकर रैक से उठवाकर गोपाल सिंह की पेन्ट की जेब मे रखवाना, जहॉ से रिश्वत राशि 2,00,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण 1. श्री केशराम पिता तेजराम मीणा उम्र 53 साल निवासी जीवली तहसील बजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर हाल बी–11 व बी–17, जे.पी. कॉलोनी, टोक फाटक, जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड–भीम जिला राजसमन्द 2. श्री गोपाल सिंह पिता लक्ष्मण सिंह रावत उम्र 35 साल निवासी हिन्दोला पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द ( ठेकेदार) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–द्वितीय।

# कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिव प्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री केशराम मीणा, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-भीम, जिला राजसमन्द एवं 2. श्री गोपाल सिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत निवासी हिन्दोला, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमन्द (ठेकदार) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 249/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2191-95 दिनांक 23.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।

23.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर